



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 56-2019/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, MARCH 29, 2019 (CHAITRA 8, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 मार्च, 2019

संख्या 38/आ०-1/पं०अ०1/1914/धा० 57क/2019.- पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम 1), की धारा 57-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 11/आ०-1/पं०अ०1/1914/धा० 57-क/2017, दिनांक 29 मार्च, 2017 के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची "क" तथा 'ख' में यथा विनिर्दिष्ट बोतलों तथा प्लास्टिक बोतलों में भरी हुई कमशः 50 डिग्री प्रूफ तथा 65 डिग्री प्रूफ क्षमता की मसालेदार देशी स्पिरिट की निम्नलिखित कीमतें, अप्रैल, 2019, के प्रथम दिन से नियत करते हैं :-

अनुसूची- 'क'

क्रम संख्या	बोतल का आकार	कीमत
1	2	3
1.	बोतल (क्वार्ट) (750 मिलीलीटर)	₹ तीन सौ अठारह (नए शीशे की बारह बोतल प्रति केस)
2.	अध्या (पिंट) (375 मिलीलीटर)	₹ तीन सौ उनतालीस (नए शीशे की चौबीस बोतल प्रति केस)
3.	पच्चा (निप) (180 मिलीलीटर)	₹ तीन सौ सतहत्तर (नए शीशे की पचास बोतल प्रति केस)
4.	बोतल (क्वार्ट) (750 मिलीलीटर)	₹ दो सौ निन्यानवे (पुरानी शीशे की बारह बोतल प्रति केस)
5.	अध्या (पिंट) (375 मिलीलीटर)	₹ तीन सौ उन्नीस (पुरानी शीशे की चौबीस बोतल प्रति केस)
6.	पच्चा (निप) (180 मिलीलीटर)	₹ तीन सौ सतावन (पुरानी शीशे की पचास बोतल प्रति केस)
7.	बोतल (क्वार्ट) (750 मिलीलीटर) पैट	₹ दो सौ इक्यानवे (बारह बोतल प्रति केस)
8.	अध्या (पिंट) (375 मिलीलीटर) पैट	₹ तीन सौ बारह (चौबीस बोतल प्रति केस)
9.	पच्चा (निप) (180 मिलीलीटर) पैट	₹ तीन सौ पचास (पचास बोतल प्रति केस)

## अनुसूची—'ख'

क्रम संख्या	बोतल का आकार	कीमत
1	2	3
1.	बोतल (क्वार्ट) (750 मिलीलीटर)	₹ तीन सौ अठसठ (नए शीशे की बारह बोतल प्रति केस)
2.	अध्धा (पिंट) (375 मिलीलीटर)	₹ तीन सौ नवासी ( नए शीशे की चौबीस बोतल प्रति केस)
3.	पच्चा (निप) (180 मिलीलीटर)	₹ चार सौ सताईस (नए शीशे की पचास बोतल प्रति केस)
4.	बोतल (क्वार्ट) (750 मिलीलीटर)	₹ तीन सौ उनचास (पुरानी शीशे की बारह बोतल प्रति केस)
5.	अध्धा (पिंट) (375 मिलीलीटर)	₹ तीन सौ उनहत्तर (पुरानी शीशे की चौबीस बोतल प्रति केस)
6.	पच्चा (निप) (180 मिलीलीटर)	₹ चार सौ सात (पुरानी शीशे की पचास बोतल प्रति केस)
7.	बोतल (क्वार्ट) (750 मिलीलीटर) पैट	₹ तीन सौ इकतालीस (बारह बोतल प्रति केस)
8.	अध्धा (पिंट) (375 मिलीलीटर) पैट	₹ तीन सौ बासठ (चौबीस बोतल प्रति केस)
9.	पच्चा (निप) (180 मिलीलीटर) पैट	₹ चार सौ (पचास बोतल प्रति केस)

टिप्पण :- बोतलों में भरी हुई 50 डिग्री प्रूफ तथा 65 डिग्री प्रूफ की क्षमता वाली मसालेदार देशी स्पिरिट की नई/पुरानी शीशे की बोतलों/पैट बोतलों की उपर्युक्त कीमतें पूर्व आसवनी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुये होंगी, अर्थात् :-

- नई/पुरानी शीशे की बोतलें तथा पैट बोतलें अनुज्ञप्त ठेकेदार के वाहन अथवा रेलवे स्टेशन तक अनुज्ञप्त ठेकेदार के प्रेषण पर सप्लाई की जाएंगी।
- उक्त कीमतों में लहरदार गत्ते के डिब्बों, पैकिंग, बारदाना इत्यादि की कीमत, परिवहन प्रभारों को छोड़कर, शामिल होगी।
- सभी प्रकार की नई/पुरानी शीशे की बोतलों तथा पैट बोतलों पर "हरियाणा आबकारी" का सैंडब्लास्टिड निशान होगा।
- मसालेदार देशी शराब की आपूर्ति पांच किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक फैलने वाली क्षमता रखने वाले तीन प्लाई के लहरदार गत्ते के डिब्बों में बोतल, अध्धा तथा पच्चा आकार के अनुपात में होगी तथा बोतल, अध्धा तथा पच्चा आकार की देशी शराब की आपूर्ति अनुपात आबकारी तथा कराधान आयुक्त के आदेशों से, यदि आवश्यक हो, विनियमित किया जाएगा।
- पूर्व आसवनी जारी कीमत में लागतें तथा सभी व्यय जो ई0 ए0 एल0/होलोग्राम लगाने के लिए उपगत होते हैं, शामिल होंगे।
- आसवनियां उपर्युक्त नियत कीमतों से अधिक कोई भी कीमत प्रभारित करने की हकदार नहीं होंगी।
- केवल एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल से बनी देसी मदिरा हरियाणा राज्य में वर्ष 2019-20 से बेची जायेगी।

संजीव कौशल,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
आबकारी तथा कराधान विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT**

**Notification**

The 29th March, 2019

**No. 38 /X-1/P.A.1/1914/S.57-A/2019.**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 57-A of the Punjab Excise Act, 1914 (Punjab Act 1 of 1914), and in supersession of the Haryana Government, Excise & Taxation Department, Notification No. 11/X-1/P.A.1/1914/S.57-A/2017 dated the 29th March, 2017, the Governor of Haryana hereby fixes with effect from the 1st day of April, 2019, the following prices of spiced country spirit of the

strength of 50 degree proof and 65 degree proof in bottled form and plastic bottles as specified in the Schedule A and B respectively given below :-

**Schedule-A**

Serial Number	Size of Bottle	Price
1	2	3
1.	Quart (750 mililitres)	₹Three hundred eighteen (per case of 12 in new glass bottles)
2.	Pint (375 mililitres)	₹ Three hundred thirty nine (per case of 24 in new glass bottles)
3.	Nip (180 mililitres)	₹Three hundred seventy seven (per case of 50 in new glass bottles)
4.	Quart (750 mililitres)	₹ Two hundred ninety nine (per case of 12 in old glass bottles)
5.	Pint (375 mililitres)	₹ Three hundred nineteen (per case of 24 in old glass bottles)
6.	Nip (180 mililitres)	₹ Three hundred fifty seven (per case of 50 in old glass bottles)
7.	Quart (750 mililitres) PET	₹ Two hundred ninety one (per case of 12 bottles)
8.	Pint (375 mililitres) PET	₹ Three hundred twelve (per case of 24 bottles)
9.	Nip (180 mililitres) PET	₹ Three hundred fifty (per case of 50 bottles)

**Schedule-B**

Serial Number	Size of Bottle	Price
1	2	3
1.	Quart (750 mililitres)	₹Three hundred sixty eight (per case of 12 in new glass bottles)
2.	Pint (375 mililitres)	₹ Three hundred eighty nine (per case of 24 in new glass bottles)
3.	Nip (180 mililitres)	₹Four hundred twenty seven (per case of 50 in new glass bottles)
4.	Quart (750 mililitres)	₹ Three hundred forty nine (per case of 12 in old glass bottles)
5.	Pint (375 mililitres)	₹ Three hundred sixty nine (per case of 24 in old glass bottles)
6.	Nip (180 mililitres)	₹ Four hundred seven (per case of 50 in old glass bottles)
7.	Quart (750 mililitres) PET	₹ Three hundred forty one (per case of 12 bottles)
8.	Pint (375 mililitres) PET	₹ Three hundred sixty two (per case of 24 bottles)
9.	Nip (180 mililitres) PET	₹ Four hundred (per case of 50 bottles)

Note :- The above prices of new/old glass bottles/PET bottles of spiced Country Spirit of the strength of 50 degree proof and 65 degree proof in bottles form shall be ex-distillery subject to the following conditions, namely :-

- (i) The new/old glass bottles and PET bottles shall be supplied upto licensed vendor's couriers or railway station of dispatch at the licensed vendor.
- (ii) The said prices shall be inclusive of the prices of corrugated boxes, packing, bardana etc. excluding transportation charges.
- (iii) All types of new/old glass bottles and PET bottles shall bear sandblasted mark of "HARYANA EXCISE".
- (iv) The supply of spiced country liquor in quarts, pints and nips size shall be in corrugated boxes of 3 ply having bursting strength of 5 Kilogram per centimeter. Square and the ratio of supply of country liquor in quarts, pints and nips sizes shall be regulated by the orders of the Excise and Taxation Commissioner, if need be.
- (v) The Ex-Distillery Issue Price is inclusive of costs and all expenses that will be incurred for affixing Excise Adhesive Labels/Hologram.
- (vi) The distilleries shall not be entitled to charge anything over and above the prices fixed above.
- (vii) Only Extra Neutral Alchohal based country liquor shall be sold in Haryana with effect from the year 2019-20.

SANJEEV KAUSHAL,  
Additional Chief Secretary to Government Haryana,  
Excise and Taxation Department.